छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अप्राकृतिक यौन संबंध पर रोक लगाई

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय **ने** फैसला सुनाया है कि अगर कोई पुरुष **अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रियाएँ करता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा अर्थात** यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ **भारतीय दंड संहिता** की **धारा 377** के तहत परिभाषित **अप्राकृतिक यौन संबंध** बनाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता।

मुख्य बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने **बस्तर ज़िले के एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने** अपनी पत्नी की वर्ष 2017 में हुई मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।
  - सत्र न्यायालय ने **पहले फैसला सुनाया था कि महिला जबरन शारीरिक संबंध बनाने के कारण बीमार हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई।**
- ट्रायल कोर्ट का दोषसिद्धि:
  - सत्र न्यायालय ने अपीलकर्त्ता को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया:
- **धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध)**
- **धारा 376 (बलात्कार)**
  - **भारतीय दंड संहिता, 1860** की **धारा 304 (हत्या की कोटि में न आने वाला गैर इरादतन हत्या)।**
- अपीलकर्त्ता को उसकी पत्नी के मृत्यु पूर्व दिये गए बयान के आधार पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।
- **उच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - यदि **पत्नी की आयु 15 वर्ष से अधिक है तो पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध या कृत्य बलात्कार नहीं कहा जा सकता।**
  - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इन परिस्थितियों में **अप्राकृतिक यौन संबंध के लिये सहमति का अभाव महत्त्वहीन हो जाता है, जिससे धारा 376 और 377 लागू नहीं होतीं।**
  - उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिये गए बयान की सत्यता पर भी संदेह व्यक्त किया तथा इसकी विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-high-court-banned-unnatural-sex